

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झांसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-३१/२०२०(एम.ए.सी.पी.सं. १३८/२०१८)

राम लाल बनाम मुर्तजा खान आदि

२९.०६.२०२०

पत्रावली प्रस्तुत हुयी। प्रार्थी/याची मय विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित आये।

३बी प्रार्थनापत्र जिसे शपथपत्र प्रपत्र संख्या ४सी२ से समर्थित किया गया है, में प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि एम.ए.सी.टी./ए.डी.जे. नं.३, झांसी द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा एवार्ड की धनराशि मय ब्याज २,७७,३८४/- रु. की चेक जमा कर दी है। अतः प्रार्थी को उक्त धनराशि उसे दिलाया जाए।

मैंने, पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थी द्वारा अपने आधार कार्ड व पास बुक की छाया प्रतियां पत्रावली पर दाखिल की गयीं हैं व असल पासबुक अवलोकनार्थ प्रस्तुत की है। प्रार्थी राम लाल ने अपने प्रार्थनापत्र व शपथपत्र ४सी२ में यह भी कथन किया है, कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध विपक्षी बीमा कम्पनी ने कोई अपील माननीय उच्च - न्यायालय में दाखिल नहीं की है और न ही विचाराधीन है, न ही कोई स्थगन आदेश है। मूल पत्रावली तलब हुयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक-१६.११.२०१९ को मुब. २,४६,९३३/-रु. मय ७ प्रतिशत ब्याज दिलाये जाने हेतु विपक्षी बीमा कम्पनी के विरुद्ध एवार्ड पारित किया गया है। न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय के अनुपालन में मुब. २,७७,३८४/-रुपये न्यायाधिकरण की चेक पंजिका के क्रमांक ५० पर सिंडीकेट बैंक, शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी में जमा होना दर्शित है। प्रार्थी ने अपने सिंडीकेट बैंक के खाते की छाया प्रति दाखिल की है। अतः प्रकरण में उक्त जमाशुदा धनराशि प्रार्थी/याची प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

सिंडीकेट बैंक, शाखा गोबिन्द चौराहा, झांसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं.१३८/२०१८ प्रकीर्ण वाद संख्या-३१/२००० राम लाल बनाम मुर्तजा खान आदि के प्रकरण में उक्त जमाशुदा धनराशि मुब. २,७७,३८४/-(दो लाख सतहत्तर हजार तीन सौ चौरासी) रुपये व उस पर अब तक अर्जित ब्याज की धनराशि उसके सिंडीकेट बैंक शाखा, गोबिन्द चौराहा झांसी के खाता सं. ९२३५२०१०००९३५४ में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से तुरन्त स्थानान्तरित करें। उपरोक्तानुसार धनराशि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आख्या ३ दिन के अन्दर दाखिल की जाये। 3B प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झांसी।